मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शनिवार, दिनांक 28 जुलाई, 1990 (श्रावण 6, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हरनाम सिंह राठौर, सदस्य, सागर जिले के ग्राम दलपतपुर में हैजे का प्रकोप फैलने से हो रही मौतों की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जालम सिंह पटेल /राजेन्द्र पामभोई/उदयप्रकाश मिश्र, सदस्य, भोपाल स्थित अशासकीय पाठशालाओं के प्रबंधकों द्वारा शिक्षण शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी किये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार क्षेत्रीय कार्यालय से वितरित सोयाबीन बीज अंकुरित न हो पाने से कृषकों को हुई हानि की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री आरिफ़ अकील/दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, भोपाल के कोतवाली थाना कर्मियों द्वारा एक युवक को जलाये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के बेलगहना थानान्तर्गत एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार / रविन्द्र चौबे, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बरगाय में डकैती एवं हत्या की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नीलम सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के ईसागढ़ थानान्तर्गत दो साधुओं की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अशोक शुक्ला/सुश्री कल्याणी पाण्डेय/श्री प्रकाश जैन, सदस्य, भोपाल के घोड़ा नक्कास स्थित एक लाज में पुलिस कर्मी द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, भिंड जिले के ग्राम बोहरा के एक बालक का अपहरण कर उसकी हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले के पूर्वी एवं पश्चिमी वन मंडल में तेन्दूपत्ता श्रमिकों को मजदूरी न मिल पाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, रायपुर जिले के महानदी परियोजना से सीमेंट की अवैध निकासी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के मोहरा गांव के निकट एक खदान के धसने से तीन श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री मगनलाल गोइल / कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह/श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के डिकौली ग्राम में डकैती पड़ने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में राहत.कार्यों की मजदूरी का भुगतान न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, पश्चिम निमाड़ जिले के अनेक क्षेत्रों में नकली चूने का उपयोग कर निर्माण कार्य किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रघुनाथ सिंह आंजना, सदस्य, जावरा नगर के समीप एक ढाबे पर गोली चालन होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

2. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मुन्नासिंह भदौरिया, सदस्य :—

(क) जिला भिण्ड, तहसील अटेर के ग्राम चौम्हों एवं किशपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में 45 व्यक्तियों की,

(ख) जिला भिण्ड तहसील अटेर में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल खोले जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(ग) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम रानीपुरा में माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 33 व्यक्तियों की,

(घ) जिला भिण्ड तहसील अटेर की कनैरा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में 151 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम चिलौंगा को रमा-भगवन्तपुरा मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में 17 व्यक्तियों की,

(च) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम बिजौरा को सुरपुरा कोषण मार्ग से जोड़े जाने हेतु सड़क निर्माण के संबंध में 42 व्यक्तियों की

(छ) जिला भिण्ड की तहसील अटेर में महाविद्यालय भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की, तथा

(ज) जिला भिण्ड के ग्राम खैराट से देवाला होते हुए तहसील अटेर तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य :—

(क) जिला रीवा, तहसील रायपुर कर्चुलियान के ग्राम खीरा की प्राथमिक शाला का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की,

(ख) जिला रीवा के ग्राम बदवार में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की,

(ग) जिला रीवा, ग्राम गुढ़ के शासकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 6 व्यक्तियों की,

(घ) जिला रीवा, तहसील गुढ़ की बिछिया नदी पर अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में 15 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला रीवा, नगरपालिका गुढ़ में पक्की नालियों का निर्माण तथा अधूरे खड़न्जे को पूर्ण कराये जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(च) जिला रीवा, नगरपालिका गुढ़ में नई पाईप लाईन बिछाने एवं नल कनेक्शन दिलाये जाने के संबंध में 17 व्यक्तियों की, तथा

(छ) जिला इन्दौर के राजकुमार मिल के श्रमिकों को अवैधानिक रूप से की गई मिल बन्दी की अवधि का वेतन दिये जाने के संबंध में 775 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य :—

(क) जिला रायपुर, तहसील सरायपाली की सब तहसील बसना में नायब तहसीलदार कार्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में 18 व्यक्तियों की,

(ख) जिला रायपुर के बसना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़फुलझर हाई स्कूल में दस धन दो की कक्षाएं इसी सत्र में प्रारंभ कराने के संबंध में 27 व्यक्तियों की, तथा

(ग) जिला रायपुर के बसना शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शव परीक्षण गृह (पोस्ट-मार्टम हाऊस) खोले जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री रामसिंह धुर्वे, सदस्य :—

(क) जिला मण्डला, विधान सभा क्षेत्र शहपुरा के नगर में शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(ख) जिला मण्डला ब्लाक शहपुरा में स्वीकृत बाल विकास परियोजना प्रारंभ करने के संबंध में 17 व्यक्तियों की, तथा

(ग) जिला मण्डला के शहपुरा नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 35 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य :—

(क) जिला शाजापुर के ग्राम सुसनेर की हरिजन बस्ती नरबदिया नाला में सड़क तथा नालियों का निर्माण कराने के संबंध में 50 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला शाजापुर के ग्राम सुसनेर के इतवारिया की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 33 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, जिला रीवा के ग्राम कुल्लू, पोस्ट बिहरा के प्रायमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने के संबंध में 29 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, जिला रायपुर की उप तहसील बारंग को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(8) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, जिला दुर्ग के ग्राम नंदकठी के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने के संबंध में 25 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(9) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, जिला दुर्ग, तहसील बालौद के "बया" जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के संबंध में 35 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(10) श्री रामखेलावन सिंह सदस्य, जिला सरगुजा तहसील सीतापुर के विकासखण्ड बतौली का कार्यालय भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(11) श्री गनेशीलाल वर्मा, सदस्य, जिला पन्ना की गलको नदी पर पुल निर्माण एवं सलेहा से देवरा विसनी तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 88 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(12) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, जिला राजगढ़ के ग्राम चाटूखेड़ा जोड़ से काली तलाई तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में 13 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 20 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 21 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1990 (क्रमांक 19 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

45 मिनट (4) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 17 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक 27 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.